भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 145

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत खेती से संबंधित कार्यकलापों को शामिल करना

145. श्री अविनाश राय खन्नाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगस) के अंतर्गत फसलों की सुरक्षा के मौसमी कार्य को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मनरेगस कार्यों के अंतर्गत खेतों/ जमीनों पर बाड़ लगाने की मांग भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) और (ग) : जी, हां ।

(ख) और (घ) : अधिनियिम की अनुसूची-I में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी रोजगार के लिए क्रियाकलापों को निर्धारित किया गया है । अधिनियम में सुझाए गए कार्यों का चयन सूखा, वनों का कटाव और मृदा अपरदन जैसे स्थायी गरीबी के कारणों से निपटने के लिए किया जाता है ताकि स्थायी आधार पर रोजगार सृजन की प्रक्रिया को कायम रखा जा सके और प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियां सृजित की जा सकें । रोजगार सृजन के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नये क्रियाकलापों/कार्यों को शामिल करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के अंतर्गत फसलों की रक्षा के लिए मौसूमी कार्यों तथा खेतों/जमीनों पर बाड़ लगाने की मांग को स्वीकारा नहीं गया क्योंकि ऐसे कार्य आजीविका के प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत नहीं करते तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियां सृजित नहीं करते ।

*****